संख्या- 16/2020/1126/तीस-4-2020-06(सा0)/18

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
२. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
३. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 22 दिसम्बर, 2020

विषय- प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई- सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा परिवहन विभाग की सेवाओ को आम जनमानस तक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारण्टी अधिनियम उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सेवाएं सम्मिलित है, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) से इन्टीग्रेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

2- उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-16/682/तीस-4-2018-06(सा0)/18, दिनांक 11.05.2018 के द्वारा वाहन सम्बन्धी 14 सेवाओं तथा शासनादेश संख्या-18/809/तीस-4-2018-06(सा0)/18, दिनांक 31.05.2018 के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बन्धित 10 सेवाओं (कुल परिवहन विभाग की 24 सेवाओं) को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से इन्टीग्रेट कराते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 11.05.2018 में उल्लिखित निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आम जनमानस को उपलब्ध कराए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है :-

(i) उक्त सेवाओं को आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेन्टर्स यथा- जन सेवा केन्द्रों / लोकवाणी केन्द्रों/ ई-सुविधा केन्द्रों/ जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) अधिकृत केन्द्रों की सूची कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा परिवहन विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे परिवहन विभाग की वेबसाइट (uptransport.co.in) पर जन सूचनार्थ प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा ऑनलाइन माध्यम से उक्त सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक औपचारिकताओं/व्यवस्थाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही की जाएगी।

(iv) आवेदक के अनुरोध पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स के अधिकृत आपरेटर द्वारा ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग के पोर्टल पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया तथा फीस भुगतान की व्यवस्था अनुपालन किया जाएगा एवं परिवहन विभाग के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित फीस धनराशि को उसी वेब पोर्टल से लिंक्ड स्टेट बैंक आफ इण्डिया के आनलाइन बैंकिंग पोर्टल www.onlinesbi.com का प्रयोग कर राज्य सरकार के खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

(v) किसी आवेदन की प्रक्रिया को ''पूर्ण'' (complete) तब माना जाएगा जब परिवहन विभाग के वेब पोर्टल से उस आवेदन के सापेक्ष फीस की धनराशि की ई-रसीद जेनरेट कर दी जाये।

(vi) यूजर चार्जेज : प्रत्येक सफल ट्रान्जेक्शन पर कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा आवेदनकर्ता से निर्धारित यूजर चार्ज रू 20/- (बीस मात्र सभी कर सहित) का शुल्क लिया जाएगा तथा कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा तत्सम्बन्धी प्राप्ति रसीद आवेदनकर्ता को दी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(vii) अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होंगे।

(viii) कॉमन सर्विस सेन्टर्स के माध्यम से आम जनमानस को उपलब्ध करायी जाने वाली परिवहन विभाग की सेवाओं के सापेक्ष देय गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी) अथवा कोई अन्य शुल्क का वहन कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा स्वयं किया जाएगा, परिवहन विभाग पर इसकी कोई देयता नहीं होगी।

(ix) आवेदकों की जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा अपने सभी अधिकृत केन्द्रों पर आवेदन की प्रक्रिया का पूर्ण विवरण, यूजर चार्जेज का विवरण तथा आवेदक को कॉमन सर्विस सेन्टर्स के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रपत्रों (यथा- आनलाइन आवेदन की प्रिन्टेड प्रति, भुगतान की गयी फीस की ई-रसीद, कॉमन सर्विस सेन्टर्स द्वारा रू 20/- की प्राप्ति रसीद) का विवरण उचित स्थान पर प्रदर्शित कराया जाएगा।

3- उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त परिवहन विभाग की निम्नांकित सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराते हुए कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से आमजनमानस को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) उत्तर प्रदेश में पंजीकृत तथा अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आनेवाली वाहनों के ऑनलाइन कर संग्रहण की सुविधा।
(2) वाहनों का स्वस्थता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना।
(3) वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण ।
(4) वाहन डीलरों हेतु नया ट्रेड सर्टिफिकेट निर्गत किया जाना/नवीनीकरण।
(5) प्रदूषण जांच केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रमाण-पत्र जारी किया जाना।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि विभागीय ऑनलाइन सेवाओं को जनमानस हेतु सुलभ बनाये जाने हेतु मण्डल मुख्यालय पर 02 एवं जनपद मुख्यालय पर 01 कॉमन सर्विस सेन्टर कार्यालय परिसर में खोला जाना सुनिश्चित किया जाय तथा ऐसे कार्यालय परिसर जहॉ स्थान उपलब्ध नहीं है वहॉ पर कार्यालय परिसर के आस-पास उपलब्ध स्थान में कॉमन सर्विस सेन्टर खोला जाय।

4- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित परिवहन विभाग की 05 सेवाओं को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (http://edistrict.up.nic.in) के माध्यम से इन्टीग्रेट कराते हुए आमजनमानस को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति शासनादेश संख्या-16/682/तीस-4-2018-06(सा0)/18, दिनांक 11.05.2018 में उल्लिखित उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

5- ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रॉसेस किया जाएगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रॉसेस कर रहे हैं।

6- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि परिवहन विभाग की ऑनलाइन सेवाओं को आमजनमानस के लिए सुलभ बनाये जाने हेतु मण्डल मुख्यालय पर 02 एवं जनपद मुख्यालय पर 01 कॉमन सर्विस सेन्टर कार्यालय परिसर में खोला जाना तथा ऐसे कार्यालय परिसर जहॉ स्थान उपलब्ध नहीं है वहॉ पर कार्यालय परिसर के आस-पास उपलब्ध स्थान में कॉमन सर्विस सेन्टर खोला जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7- कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-16/2020/1126(1)/तीस-4-2020-06(सा0)/18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई- गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. श्री जॉयदीप शोम, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, हेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली।
7. स्टेट इन्फार्मेटिक्स ऑफिसर, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
8. हेड, एस ई एम टी, उत्तर प्रदेश।
9. अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी/मध्य/पश्चिमी/सड़क सुरक्षा व आईटी), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
12. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।